स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेस–नोट संख्याः 289, दिनांक 13–11–2020

सोशल मीडिया (फेसबुक, मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से ठगी कर यू0एस0ए0/कनाडा आदि देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बन्धक बनाकर हवाला के माध्यम से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) से एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार

दिनाक 11–11–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सोशल मीडिया (फेसबुक, मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से ठगी कर यू0एस0ए0/कनाडा आदि देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बन्धक बनाकर हवाला के माध्यम से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे को मध्य प्रदेश के जिला रतलाम से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

राजेश कुमार उर्फ संतोष दूबे पुत्र हितनरायन निवासी म0नं0 53 वार्ड नं0 31, फ्रीगंज, थाना स्टेशन रोड, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)

बरामदगीः–

01–मोबाइल फोन–01 अदद।
02–आधार कार्ड–01 अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

गांधीनगर जिला रतलाम (मध्य प्रदेश), दिनांक 11–11–2020।

सोशल मीडिया (फेसबुक, फेसबुक मैसेन्जर एवं व्हाट्सअप आदि) के माध्यम से विदेशों मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा में नौकरी व वीजा दिलाने के नाम पर एक अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह द्वारा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात के कुछ लोगों को दिनांक 22–11–2019 को जनपद वाराणसी के कैण्ट थानान्तर्गत बुलाकर बन्धक बनाते हुये 20 लाख रूपये अवैध रूप से हवाला के माध्यम से नई दिल्ली में वसूला गया था। इस संबंध में जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 1548/2019 धारा 420/406/323/ 342/506/386/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त गिरोह के अपराधिक कार्यों पर अंकुश लगाते हुये गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 की फील्ड इकाई, वाराणसी को निर्देशित किया गया तथा, जिसके क्रम में गिरोह के सरगना आजमगढ़ निवासी राजवीर यादव, नेपाल निवासी कपिल उर्फ भाष्कर उर्फ भाटिया तथा कोलकता निवासी पवन गांधी को एस0टी0एफ0 द्वारा पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त मुकदमें में वांछित तथा फरार चल रहे गिरोह के एक अन्य सदस्य राजेश कुमार उर्फ संतोष पुत्र हितनरायन निवासी म0नं0 53 वार्ड नं0 31 फ्रीगंज, थाना स्टेशन रोड, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) जिसके उपर रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था, के संबंध में एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष रतलाम (मध्य प्रदेश) में लुकछिप कर रह रहा है। इस पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की एक टीम रतलाम (मध्य प्रदेश) पहुॅची। टीम द्वारा प्राप्त अभिसूचना पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 11–11–2020 को मुहल्ला गांधीनगर जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) से उक्त अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिया गया था, जिसके द्वारा आज दिनांक 13–11–2020 को थाना कैण्ट, जनपद वाराणसी में दाखिल कर अभियोग के विवेचक के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के संबंध मं अभिसूचना संकलन, विश्लेषण एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना राजवीर सिंह यादव है। यह गिरोह दो भागों में बटकर अपराध को अंजाम देता है। पहले भाग को पवन गांधी संचालित करता है। पवन गांधी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, फेसबुक मैसेन्जर, व्हाट्सअप आदि पर फर्जी आई0डी0 से यू0एस0ए0, कनाडा में जॉब दिलाने का विज्ञापन पोस्ट करता है। यह विज्ञापन विशेषकर बंगलादेश, नेपाल एवं गुजरात के लोगों के लिये निकाला जाता है और इसी विज्ञापन में सम्पर्क करने के लिये अपना एक मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। इस नंबर पर बातचीत एवं व्हाट्सअप चैट किया जाता है। यह कार्य एक से दो माह तक चलता है। जब यह बात तय हो जाती है कि कोई व्यक्ति यू0एस0ए0, कनाडा जाने के लिये तैयार हो गया है तो उसी समय इच्छुक व्यक्ति को बताया जाता है कि नौकरी मिलने के तुरन्त बाद हवाला के माध्यम से एक व्यक्ति को 15 से 20 लाख रूपये तक देना पड़ेगा। अग्रिम धनराशि के रूप में कुछ नही लगेगा। इस पर संबंधित व्यक्ति तुरन्त विश्वास कर लेता है और उसके परिवारीजन भी तैयार हो जाते हैं। तब संबंधित व्यक्ति को वाराणसी या अन्य ठिकानों पर बुलाया जाता है और जब संबंधित व्यक्ति पहुॅच जाता है तो इन्हें होटल में ठहराया जाता है और यहॉ से गैंग के दूसरे भाग का काम शुरू हो जाता है। इसका नेतृत्व राजवीर सिंह यादव करता है। राजवीर सिंह यादव अपने गैंग के सदस्यों जिसमें उक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष, कपिल उर्फ भाटिया उर्फ भाष्कर आदि शामिल हैं, के माध्यम से उक्त होटल व व्यक्ति की निगरानी कराता है कि कहीं पुलिस पीछे तो नही लगी है। जब निश्चिंत हो जाते हैं तब संबंधित व्यक्ति को यह कहते हुये कि आपको हमलोग विदेश भेजने के लिये एयरपोर्ट ले चल रहे हैं, परन्तु एयरपोर्ट न ले जाकर सारनाथ व सिगरा स्थित अपने ठिकाने पर ले जाकर बन्धक बना लेते हैं। इसके बाद मारपीट एवं बन्दूक सटाकर धमकाते हुये परिजनों से बात करवाते हैं कि यह बता दो कि हमलोग एयरपोर्ट पहुॅच गये हैं हमारी बोर्डिंग तैयार हो गयी है और मैं अपना मोबाइल स्विचऑफ कर रहा हूॅ। विदेश पहुचने के बाद बात होगी और मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। विदेश में फ्लाईट के पहुचने की अवधि के हिसाब से संबंधित देश का वर्चुअल नंबर इण्टरनेट से तैयार कर पुनः मारपीटकर बन्दूक सटाकर परिवार के लोगों से यह बात कराते हैं कि मैं विदेश पहुच गया हूॅ और मुझे जॉब मिल गयी है और यहॉ का मौसम खराब है, इसलिये विडियो कॉलिंग नही कर पा रहा हूॅ। जो पैसा तय हुआ था वह हवाला के माध्यम से दे दें। इसपर परिवार वाले विश्वास कर हवाला के माध्यम से पैसा इस गैंग के लोगों को भेजवा देते हैं, जिसे पवन गांधी दिल्ली में उक्त पैसा हवाला के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। पैसा प्राप्त हो जाने के बाद गैंग द्वारा बन्धक बनाये गये व्यक्ति को ऑख पर पट्टी बांधकर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे टिकट देकर छोड़ दिया जाता है और पैसा गैंग में बराबर बॉट लिया जाता है। इस गैंग द्वारा अबतक लगभग 35 से 40 लोगों के साथ इसी तरह की अवैध वसूली की जा चुकी है। उक्त गिरोह द्वारा वर्ष 2017 में नरेश चुन्नी लाल मोदी निवासी सी–12 लक्ष्मी अपार्टमेण्ट संतकबीर स्कूल के पीछे थाना नौरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात से 14 लाख रूपये लिया गया था। इस संबंध में जनपद

वाराणसी के थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 256/2017 धारा 342/346/386/364ए भादवि पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ संतोष द्वारा बताया गया कि पवन गांधी ने फेसबुक पर दिनांक 22–11–2019 को शेखर सूद नाम से आई0डी0 बनाकर 'USA CANADA REACH AVAILABLE ONLY FOR GUJARATI, NEPAL AND BANGLADESHIS. NO ADVANCE PAYMENT ON REACH FLIGHT IN 10 DAYS. CONTACT NO. 90732200657' विज्ञापन दिया था। इसी नंबर से तुषार वी0 पटेल निवासी मोहननगर सोसाइटी बंगला नं05 भाग–1, थाना नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात अपने मोबाइल से बातचीत कर तैयार हो जाने पर इसे वाराणसी आने के लिये यह कहकर बुलाया गया कि वाराणसी में छोटा एयरपोर्ट है। यहॉ पर टिकट आसानी से मिल जायेगा। कोई समस्या नही होगी। इसपर तुषार वी0 पटेल तैयार हो गया और तुषार अपने साथ 02 व्यक्तियों को भी साथ लाया था। इन लोगों को नदेसर स्थित एक होटल में दो दिन तक ठहराया गया था, उसके बाद राजवीर के नेतृत्व में हमलोगों द्वारा एयरपोर्ट ले जाने के नाम पर तुषार वी0 पटेल के दोनों व्यक्तियों को सिगरा स्थित अपने ठिकाने पर ले जाकर बन्धक बना लिया गया था और इनके घर वालों से कोलम्बस के वर्चुअल नंबर पर बात कराकर 20 लाख रूपया हवाला के माध्यम से ले लिया गया था। तत्पश्चात् उन लोगों को कैण्ट स्टेशन पर दिल्ली का टिकट कटाकर छोड दिया गया था।

उक्त संबंध में तुषार वी0 पटेल द्वारा दिनांक 03–12–2019 को थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 1548/2019 धारा 420/406/323/342/506/386/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया था। इसी मुकदमें में राजेश कुमार उर्फ संतोष पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।